न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
94 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	09.10.2015	12.12.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री हरक चन्द जैन जाति महाजन निवासी कल्याणजी के मन्दिर के पास टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर माणक चौक बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक
2—मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर माणक चौक बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक
3—श्री मधूसुदन गर्ग पुत्र श्री श्याम सुन्दर गर्ग निवासी 7 / 164 विद्याधर नगर जयपुर पार्टनर मैसर्स श्याम सुन्दर रामावतार ए—52 राजधानी मण्डी सीकर रोड जयपुर
4—श्री मोहित गर्ग पुत्र श्री सत्यनारायण गर्ग निवासी 7 / 164 विद्याधर नगर जयपुर पार्टनर मैसर्स श्याम सुन्दर रामावतार ए—52 राजधानी मण्डी सीकर रोड जयपुर
5—श्रीमति अनीता देवी पत्नी श्री श्याम सुन्दर गर्ग निवासी 7 / 164 विद्याधर नगर जयपुर पार्टनर मैसर्स श्याम सुन्दर रामावतार ए—52 राजधानी मण्डी सीकर रोड जयपुर
6—मैसर्स श्याम सुन्दर रामावतार ए—52 राजधानी मण्डी सीकर रोड जयपुर
7—श्री सत्यनारायण गर्ग पुत्र श्री द्वारका प्रसाद गर्ग प्रो. मैसर्स विक्रम इण्डस्ट्रीज जी—881 भारत गैस के पास रोड नं. 14—पी वी.के.आई. एरिया जयपुर
8—मैसर्स विक्रम इण्डस्ट्रीज जी—881 भारत गैस के पास रोड नं. 14—पी वी.के.आई. एरिया जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन।

:—निर्णय—: **दिनांक 12.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.06.2015 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर माणक चौक बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहॉ पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री हरक चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश जैन ने स्वंय को मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर माणक चौक बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ एक कट्टे के अन्दर एक किलोग्राम पैक के लगभग 15 पैकेट पैक्ड अवस्था में **चिवडा (लाल गणेश)** रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री ओमप्रकाश जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **चिवडा (लाल गणेश)** जिसके बैच नम्बर 105 एवं पैंकिंग की दिनांक 5/2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, एक किलोग्राम के चार पैकेट खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चिवडा (लाल गणेश)** के 4 पैकेट को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1041 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1041 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री हरक चन्द जैन जाति महाजन निवासी कल्याणजी के मन्दिर के पास टोडारायसिंह जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्याम सुन्दर रामावतार ए–52 राजधानी मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्याम सुन्दर रामावतार ए–52 राजधानी मण्डी सीकर रोड जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर पार्टनर श्री मधूसुदन गर्ग ने फर्म के दस्तावेज, खाद्य अनुज्ञा पत्र व बतौर वारन्टी मैसर्स विक्रम इण्डस्ट्रीज जी–881 भारत गैस के पास रोड नं. 14–पी वी.के.आई. एरिया जयपुर का खरीद बिल की छायाप्रति प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स विक्रम इण्डस्ट्रीज जी–881 भारत गैस के पास रोड नं. 14–पी वी.के. आई. एरिया जयपुर से सम्पर्क किया तो उक्त फर्म द्वारा अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, वैट रजिस्ट्रेशन फार्म नं. 3 प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3038 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/493/एक्ट/2015/500 दिनांक 30.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **चिवडा (लाल गणेश)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चिवडा (लाल गणेश)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चिवडा (लाल गणेश)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 ता 6 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक